

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एच/पीएफए/संस्थापन/( लुज )/11/

दिनांक :-

-आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/अधि./2007/522 दिनांक 23.7.2007 द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)चि./ग्रुप-3/96 पार्ट दिनांक 15.6.2007 एवं दिनांक 19.7.2007 के द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37 सन 1954) की धारा 9 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के नियम 8 के अन्तर्गत योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधिन कार्यरत निम्न कर्मचारियों को उनके पाठ्य वेतन पर उक्त अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से खाद्य निरीक्षक की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया जाता है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानीय क्षेत्र (सम्भाग/जिला) एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से आवंटित किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवंटित स्थानीय क्षेत्र (सम्भाग/जिला)
1.	श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, लैब टैक्नी.	अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	सयुक्त निदेशक जोन-कोटा
2.	श्री रमेश चन्द सैनी, नर्स ग्रेड द्वितीय	अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	सयुक्त निदेशक जोन-अजमेर
3.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, लैब टैक्नी.	सीएचसी पाटन, सीकर	सयुक्त निदेशक जोन-उदयपुर
4.	श्री आलोक टांक, लैब टैक्नी.	मु.चि.एव स्वा.अधि. जयपुर-द्वितीय, जयपुर	सयुक्त निदेशक जोन-जयपुर
5.	श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल, लैब टैक्नी.	सीएचसी पापडदा, दौसा	सयुक्त निदेशक जोन-भरतपुर
6.	श्री अरुण सक्सेना, लैब टैक्नी.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा	सयुक्त निदेशक जोन-कोटा

उक्त कर्मचारियों को अपने नवनियुक्त पदस्थापन स्थान पर दिनांक 5.8.2011 से पूर्व कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे, निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 522 दिनांक 23.7.2007 के द्वारा यथावत शर्तें लागू होंगी।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एच/पीएफए/संस्थापन/(लुज)/11/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा०स्वास्थ्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, मा०स्वास्थ्य राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई डी क्रमांक 551 दिनांक 3.8.11 के क्रम में।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज जयपुर/कोटा।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा०स्वा०केन्द्र/प्रा०स्वा०केन्द्र
11. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
12. आदेश/गार्ड/निजी पत्रावली।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक  
मेडिकल कालेज

निदेशक (जनस्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।